1

20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

5रु. COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

238

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अपील -दो/16 नि० -190-II-16

रामनारायण नाई तनय स्वर्गीय श्री नत्थू नाई आयु 60 वर्ष पेशा काश्तकारी, निवासी ग्राम रिछौड़ा, तहसील गुनौर, जिला पन्ना, म0प्र0

---अपीलार्थी

श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा एड० द्वारा आज दि. 18-01-16 प्रस्तुत

18/1/16 क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

RV 18-01-16

विरूद्व

1-कन्धी लाल नाई तनय स्वर्गीय रघुनन्दी नाई निवासी ग्राम रिछौड़ा, तहसील गुनौर, जिला पन्ना, म0प्र0

2- बद्री प्रसाद नाई तनय स्वर्गीय श्री रघुनन्दी नाई, निवासी ग्राम रिछौड़ा, तहसील गुनौर, जिला पन्ना, म0प्र0

---प्रतिअपीलार्थीगंण

द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 44 म0प्र0, भू-राजस्व संहिता-1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 30.07.2015 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी,तहसील गुनौर जिला पन्ना प्र0क0 अपील 77/अ-27/2014-15 से परिवेदित होकर प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-190-दो/2016 जिला पन्ना रामनारायण विरूद्ध कंधीलाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा एवं अनावेदक क्रमांक 2 की ओर से अभिभाषक श्री एस.पी. धाकड़ उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी गुनौर जिला पन्ना के प्रकरण क्रमांक 77/अ-27/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 30-07-2015 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 18-01-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर पन्ना के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का	

निराकरण किया जाना होगा ।

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर पन्ना को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर पन्ना के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर पन्ना के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 10.1.19
सदस्य